अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई
जज इजलास– रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई
उनवान– प्रेम देवी बनाम कैलाश चन्द वगै.
दावा बाबत– तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मु.न. 71/2023

अतः आदेश है कि वादिया वाद दावा उद्घोषणा खातेदारी तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का भूमि वाके ग्राम झुपडीनं तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 0. 08 है०, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.36 है०, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 120/1285 रकबा 0.02 है० कुल किता 5 कुल रकबा 0.56 है० तथा वाके ग्राम सोडाला तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 401 रकबा 0.34 है०, खसरा नम्बर 402 रकवा 0. 14 है०, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 405 रकवा 0.07 है०, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.48 है०, खसरा नम्बर 408 रकवा 0.32 है०, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 421 रकबा 0. 22 है0, खसरा नम्बर 422 रकवा 0. 18 है०, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.37 है०, खसरा नम्बर 462 रकवा 0.20 है०, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.65 है०, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 468 रकवा 0.52 है०, खसरा नम्बर 469 रकबा 0.22 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 4.94 है० में वादिया दस्तावेजी साक्ष्य/मौखिक साक्ष्य में दावा साबित करने में असफल रहने के कारण दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

निज................................मुवलिग...बाबत्..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।

09/12/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्टर ट्रेक)
बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत..................09/12/25
ओहदा..................

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई जिला दौसा

मुकदमा नम्बर 317 / 2021
न्यायालय हाजा में दर्ज 71 / 2023
निर्णय दिनांक 09.12.2025

उनवान

प्रेमदेवी पुत्री रामधन पत्नि हरिकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी उमाडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र रामधन
2. किलाण पुत्र रामधन
3. राधेश्याम पुत्र रामधन (फौत नाम हजफ)
4. रामेश्वर पुत्र रामधन
समस्त जांति ब्राहम्ण निवासी सोडाला तहसील बसवा जिला दौसा।
5. कौशल्या पुत्री रामधन पत्नि प्यारेलाल जाति ब्राहम्ण निवासी आभानेरी हाल निवासी सोडाला तहसील बसवा जिला दौसा।
6. प्रकाश पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी सोडाला तहसील बसवा जिला दौसा।
7. निर्मला पुत्री राधेश्याम पत्नि महेश जाति ब्राहम्ण निवासी राजपुर हा निवासी सोडाला तहसील बसवा जिला दौसा।
8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बांदीकुई जरिये शाखा प्रबन्धक
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत उद्घोषणा खातेदारी तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का जरिये वकिल सम्पत राम जांगिड के द्वारा न्यायालय में पेंश किया गया था जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार है:– वादीनी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ला० 7 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीनी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ला० 5 स्व० रामधन के पुत्र व पुत्रीयां है एवं प्रतिवादी सं० 6 व 7 स्व० रामधन के पौत्र व पौत्री है शेष प्रतिवादीगण बैंक एवं राजस्थान सरकार है। वाके ग्राम झुपडीनं तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.36 है०, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 120 / 1285 रकबा 0.02 है० कुल किता 5 कुल रकबा 0.56 है० तथा वाके ग्राम सोडाला तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 401 रकबा 0.34 है०, खसरा नम्बर 402 रकबा 0. 14 है०, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.48 है०, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.32 है०, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 422 रकबा 0. 18 है०, खसरा नम्बर 423

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.37 है०, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.65 है०, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.52 है०, खसरा नम्बर 469 रकबा 0.22 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 4.94 है० पूर्व में स्व० रामधन, वादीनी के पिता की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण सं० 1 ला० 4 के नाम राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरीके से दर्ज कर दी जबकि भूमि मुतदाविया में वादीनी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ला० 5 का विरासत के आधार पर 1/6 – 1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकार है। भूमि मुतदाविया वादीनी के पिता स्व० रामधन की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी जो विरासत के आधार पर प्रतिवादीगण एवं वादीनी को प्राप्त हुई है तथा वादीनी को भूमि मुतदाविया वर्णित वाद पत्र का चरण सं0 2 में जन्म से ही सम्पूर्ण भूमि के हिस्सा 1/6 के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने स्व० रामधन की मृत्यु के पश्चात गलत तरीके से वादीनी के हक हकूक एवं अधिकारो पर कुठाराघात करते हुए अकेले प्रतिवादीगण सं० 1 ला० 4 के नाम भूमि मुतदाविया को उनके नाम दर्ज कर दिया जिसका कि राजस्व कर्मचारियों को कतई कोई हक व अधिकार नहीं था कि वो वादीनी के हक हकूक एवं अधिकारो का हनन करते हुए वादीनी का नाम खातेदारी में से हजफ कर प्रतिवादीगण अब गलत तरीके से अपने नाम भूमि का अंकन हो जाने का नाजायज फायदा उठाते हुए भूमि मुतदाविया को रहन बय हस्तानान्तरित कर वादीनी के हक हकूक एवं अधिकारो से वादीनी को वंचित करने पर आमादा हो रहे है दिनांक 04–10–2021 को वादीनी फसल सरसो व चना की बुआई के लिए अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर गई तो प्रतिवादीगण सं० 1 ला0 4 ने वादीनी को ऐलानिया कहा कि भूमि अकेले प्रतिवादीगण सं० 1 ला0 4 के नाम दर्ज है तथा वादीनी को अब भूमि में काश्त नहीं करने देगे एवं भूमि मुतदाविया को किसी दीगर लठ वाले को रहन बय हस्तानान्तरण करके रहेगे व वादीनी को बेदखल करके रहेगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इस कलुषित उद्देश्य की पूर्ति में कामयाब हो गये तो वादीनी को अपूरणीय क्षति होगी व वादीनी के भूखो मरने की नौबत आ जावेगी। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को कतई कोई हक व अधिकार नहीं है कि वो भूमि मुतदाविया से वादीनी को लठ के बल पर बेदखल कर कब्जा खुद गासियाना कर किसी दीगर को रहन बय हस्तानान्तरित करे। बल्कि वादीनी मुश्तहक है कि वह न्यायालय श्रीमान से डिक्री उद्घोषणा खातेदारी इस आशय की प्राप्त करे कि भूमि मुतदाविया वर्णित वाद पत्र के चरण क्रमांक 2 की वादीनी हिस्सा 1/6 की खातेदार काबिज काश्तकार है जिससे प्रतिवादीगण का कतई कोई सरोकार व सम्बन्ध नहीं है। साथ ही वादीनी मुश्तहक है कि वह न्यायालय श्रीमान से तकास्मा की डिक्री इस आशय की प्राप्त करे कि भूमि मुतदाविया वर्णित वाद पत्र का चरण कमांक 2 का तकास्मा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस सरस नरस के आधार पर करवाये एवम् पर्चा व जमाबन्दी अलग अलग बनवाकर अलग अलग पासबुक जारी करवाये एवम् न्यायालय श्रीमान से वादीनी स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्राप्त करने की अधिकारी है कि भूमि मुतदाविया वर्णित वाद पत्र का चरण सं0 2 में वादीनी के हिस्सा 1/6 में आई भूमि पर वादीनी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मदाखलत पैदा करने से वादीनी को बेदखल कर कब्जा खुद गासियाना करने से व किसी दीगर को रहन बय हस्तानान्तरित करने से प्रतिवादीगण स्वयं अपने परिवारजन नौकर चाकर एजेन्ट हितैषी व हर प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित रहे। बिनाय दावा विनाय मुखास्मत बरोज दिनांक 04–10–2021 को अन्दर हदूद अदालत हाजा प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया धमकी देने से पैदा होकर वाद करना

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

लाजिम आया है। राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है प्रतिवादी सं० 9 राजस्थान सरकार का वैध प्रतिनिधि है राज्य सरकार के विरूद्ध धारा 80 सी पी सी का 2 माह का नोटिस दिये बिना वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। परन्तु उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का होने से त्वरित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है इसलिए बिना नोटिस वाद पेश करने हेतु न्यायालय श्रीमान से इजाजत हेतु धारा 80 (2) सी पी सी प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीनी को निम्न लिखित अनुतोष अता फरमाया जावेः— वाद पत्र बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत उद्घोषणा इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि वाके ग्राम झुपडीन तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.36 है०, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर, 120/1285 रकबा 0.02 है० कुल किता 5 कुल रकबा 0.56 है० तथा वाके ग्राम सोडाला तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 401 रकबा 0.34 है०, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.16 है०, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.48 है०, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.32 है०, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.37 है०, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.18 है०, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.37 है०, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.29 है०, खसरा नम्बर 468 रकबा 0. 52 है०, खसरा नम्बर 469 रकबा 0.22 है० कुल किता 18 कुल रकबा 4.94 है० सम्पूर्ण भूमि के हिस्सा 1/6 की खातेदार काबिज काश्तकार तन्हा वादीनी है व प्रतिवादीगण का उक्त हिस्सा 1/6 से कतई कोई लेना देना सरोकार नहीं है। इसी कदर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकन किया जावे। वाद पत्र बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकास्मा इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि भूमि वर्णित वाद पत्र का चरण क्रमांक 2 का तकास्मा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स सरस नरस के आधार पर कब्जे को ध्यान में रख कर किया जाकर अलग अलग पास बुक जमाबन्दी जारी की जावे। वाद पत्र बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे।

वादवादी दर्ज रजिस्टर पर तलवी प्रतिवादीगण की गई प्रतिवादी सं 6 की ओर से हंसराज जांगिड एडवोकेट की तरफ से पेश की गई प्रतिवादी सं 1,2,4 कि ओर से युटी की गई प्रतिवादी सं 5,7,8,9 की दि0 15.01.2025 को एक पक्षिय कार्यवाही की गई प्रतिवादी सं 1,2,4,6 की ओर से जवाब पेश किया गया जो संक्षिप्त मे निम्नप्रकार हैः— वादपत्र का पैरा नम्बर 01 अस्वीकार है। क्योंकि वादनी का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। वादपत्र का पैरा नम्बर 02 में भूमि होना स्वीकार है शेष कथन प्रतिवादी के पिता की भूमि होना अस्वीकार है गलत दर्ज है। वाद पत्र का पैरा नम्बर 03 गलत है अस्वीकार है। वाद पत्र का पैरा नम्बर 04 अस्वीकार है गलत दर्ज किया गया है। वाद पत्र का पैरा नम्बर 05 अस्वीकार है कतई गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार है। वाद पत्र का पैरा नम्बर 06 अस्वीकार है। गलत है। वाद पत्र का पैरा नम्बर 07 कानूनी है जवाब का मोहताज नहीं है। वाद पत्र का पैरा नम्बर 08 कानूनी है जवाब का मोहताज नहीं है। वाद पत्र का पैरा नम्बर 09 कानूनी है जवाब का मोहताज नहीं है। वाद पत्र का पैरा नम्बर 10 कानूनी है जवाब का मोहताज नहीं है। वाद पत्र में चाही गई इस्तदुआ अस्वीकार है क्योंकि वादनी का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार शुरू से ही

2456-

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक)

Scanned with OKEN Scanner

नहीं रहा है। चाही गई इस्तदुआ गलत दर्ज कि गई है क्योंकि वादनी का शुरू से ही उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होने से दावा वादनी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने के आदेश जारी करें। अतिरिक्त कथन वादी के पिता रामधन का स्वर्गवास करीबन 50 वर्ष पूर्व हो गया था उस समय पिता की सम्पत्ति में पुत्रियो को किसी प्रकार का हक अधिकार नही थे। जो नामानतकरण विरासत 01 लगायत 04 के नाम खोला गया है सही खोला गया था जो सही था दावे में वादिया ने दावे के खानदान भी नहीं दर्शाया है। अतः जवाब प्रतिवादी 01,02,08,04 व 06 की ओर से पेश का श्रीमान से निवेदन है कि वादीनी का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने के आदेश जारी करें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का उक्त जवाब पेश होने पर प्रकरण में निम्नप्रकार तनकीयात कायम कि गईः—

तनकी सं 1 आयावादी भूमि वादग्रस्त में 1/6 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा करवाने की अधिकारी है।

वादिया.....।

तनकी सं 2 आया वादी वादग्रस्त भूमि में अपनं हिस्से की भूमि का तकास्मा कराने का अधिकारी है।

वादिया.....।

तनकी सं 3 आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

वादिया.....।

तनकी सं 4 आया प्रतिवादी वादी के पिता का स्वर्गवास करीबन 50 वर्ष पूर्व हो गया था उस समय पिता की सम्पत्ति मे पुत्रियों को किसी प्रकार का हक अधिकार नही थे। नामान्तकरण विरास्त 01 लगायत 4 के नाम खोला गया वह सही है।

प्रतिवादी सं 1,2,4 व 6.....।

तनकी सं 5 आया प्रतिवादी वादिया भूमि वादग्रस्त से कोई सम्बन्ध सरोकार शुरू से ही नही रहा है। उद्घोषणा कराने की अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादी सं 1,2,4 व 6.....।

तनकी सं 6 अनुतोष।

प्रकरण में उक्त तनकियात कायम होने के बाद प्रकरण वादीसाक्ष्य पर नियत किया गया वादीगण को साक्ष्य पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य पेश नही करने के कारण दि0 30.06.2025 को वादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत किया गया प्रतिवादी की ओर से विजयसिंह गूर्जर ओर प्रकाश का साक्ष्य प्रपत्र पेश किया गया वादी अधिवक्ता को प्रतिवादी से जिरह करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु जिरह नही करने के कारण वादी का जिरह अवसर बन्द किया जाकर प्रकरण बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र को दोहराते हुये वाद पत्र को स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब दावे दोहराते हुये तर्क किया है कि वादी के पिता रामधन का स्वर्गवास करीबन 50 वर्ष पूर्व हो गया था उस समय पिता की सम्पत्ति में पुत्रियो को किसी प्रकार का हक अधिकार नही थे। जो नामानतकरण विरासत 01 लगायत 04 के नाम खोला गया है सही खोला गया था जो सही था दावे में वादिया ने दावे के खानदान भी नहीं दर्शाया है। अतः जवाब प्रतिवादी 01,02,08,04 व 06 की ओर से पेश का

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

श्रीमान से निवेदन है कि वादीनी का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने के आदेश जारी करें।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार है:–

तनकी सं 1 आयावादी भूमि वादग्रस्त में 1/6 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा करवाने की अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादिया पर है। वादिया द्वारा पत्र पत्र के साथ ग्राम झूपडीन के खाता संख्या नया 6 पुराना 6 की जमाबन्दी की प्रति सम्वत 2074–2077 तथा खाता संख्या नया 10 पुराना 9 ग्राम सोडाला की जमाबन्दी पेश की गई है। जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम है। वादिया का कथन है कि पूर्व में स्व० रामधन, वादीनी के पिता की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण सं० 1 ला० 4 के नाम राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरीके से दर्ज कर दी जबकि भूमि मुतदाविया में वादीनी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ला० 5 का विरासत के आधार पर 1/6 – 1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकार है। भूमि मुतदाविया वादीनी के पिता स्व० रामधन की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी जो विरासत के आधार पर प्रतिवादीगण एवं वादीनी को प्राप्त हुई है तथा वादीनी को भूमि मुतदाविया वर्णित वाद पत्र का चरण सं0 2 में जन्म से ही सम्पूर्ण भूमि के हिस्सा 1/6 के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने स्व० रामधन की मृत्यु के पश्चात गलत तरीके से वादीनी के हक हकूक एवं अधिकारो पर कुठाराघात करते हुए अकेले प्रतिवादीगण सं० 1 ला० 4 के नाम भूमि मुतदाविया को उनके नाम दर्ज कर दिया जिसका कि राजस्व कर्मचारियों को कतई कोई हक व अधिकार नहीं था कि वो वादीनी के हक हकूक एवं अधिकारो का हनन करते हुए वादीनी का नाम खातेदारी में से हजफ कर प्रतिवादीगण अब गलत तरीके से अपने नाम भूमि का अंकन हो जाने का नाजायज फायदा उठाते हुए भूमि मुतदाविया को रहन बय हस्तानान्तरित कर वादीनी के हक हकूक एवं अधिकारो से वादीनी को वंचित करने पर आमादा हो रहे है। उसके हिस्से की उद्घोषणा की जावे। वादिया द्वारा पत्रावली में रामधन की पुत्री होने का कोई भी साक्ष्य पत्रावली में पेश नही किया गया है। जिससे यह साबित हो की वादिया रामधन की पुत्री है। नही वादिया द्वारा वाद पत्र में कोई सजरा पेश नहीं किया है। नाही कोई साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये है इसलिये उद्घोषणा कराने की अधिकारी नही है। वादिया उक्त तनकी को साबित करने में असफल रही है। तनकी संख्या 1 वादीया के पक्ष में तय नही की जा सकती है।

तनकी सं 2 आया वादी वादग्रस्त भूमि में अपनं हिस्से की भूमि का तकास्मा कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीया तनकी संख्या 1 के विवेचन के आधार पर वादिया द्वारा रामधन की पुत्री होने का साक्ष्य न्यायालय में पेश नही किया गया जब वादिया को उद्घोषणा नही की जा सकती है तो, तकास्मा करवाने की अधिकारी नही है। तनकी संख्या 2 को साबित करने में वादिया असफल रही है।

तनकी सं 3 आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादिया पर है। वादिया द्वारा पेश राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 वादग्रस्त भूमि में खातेदार काश्तकार है। किसीं खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता इसलिए उक्त तनकी को साबित करने में वादिया असफल रहीं है।

तनकी सं 4 आया प्रतिवादी वादी के पिता का स्वर्गवास करीबन 50 वर्ष पूर्व हो गया था उस समय पिता की सम्पत्ति मे पुत्रियों को किसी प्रकार का हक अधिकार नही

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) ...

थे। नामान्तकरण विरास्त 01 लगायत 4 के नाम खोला गया वह सही है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि उक्त नामांतरण गलत खोला गया है या सही इसलिए उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय नहीं की जाती है।

तनकी सं 5 आया प्रतिवादी वादिया भूमि वादग्रस्त से कोई सम्बन्ध सरोकार शुरू से ही नही रंहा है। उद्घोषणा कराने की अधिकारी नहीं है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं 1,2,4 व 6 पर है। वादिया द्वारा पेश दस्तावेजों के आधार पर उक्त तनकी का विवेचन तनकी सं. 1 में किया जा चुका है जिसमें वादिया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि वादिया रामधन की पुत्री है और वादग्रस्त भूमि में उद्घोषणा करवाने की अधिकारी है। इसलिए उक्त तनकी प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 व 6 के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं 6 अनुतोष तनकी सं. 1 लगा. 5 के विवेचन के आधार पर वादिया द्वारा पेश दावा उद्घोषणा का दस्तावेजी साक्ष्य/मौखिक साक्ष्य साबित नहीं करने के कारण वादिया का दावा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादिया वाद दावा उद्घोषणा खातेदारी तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का भूमि वाके ग्राम झुपडीनं तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.36 है०, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 120/1285 रकबा 0.02 है० कुल किता 5 कुल रकबा 0.56 है० तथा वाके ग्राम सोडाला तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 401 रकबा 0.34 है०, खसरा नम्बर 402 रकबा 0. 14 है०, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.48 है०, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.32 है०, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 422 रकबा 0. 18 है०, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.37 है०, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.65 है०, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.52 है०, खसरा नम्बर 469 रकबा 0.22 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 4.94 है० में वादिया दस्तावेजी साक्ष्य/मौखिक साक्ष्य में दावा साबित करने में असफल रहने के कारण दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

09/12/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner